न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **153/2019** दायर दिनाँक **27.06.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद हकीम पुत्र चांद खां उम्र 62 वर्ष जाति शेरानी मुस्लमान निवासी हमीदपुर बांठड़ी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—

1. श्री विरेन्द्र सिंह वकील वादी

दिनाँक **10.08.2021**

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद हमीदपुर पटवार क्षैत्र बिंचावा भू—अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र केराप में स्थित खेत खसरा नम्बर 260 रकबा 18.16 बीघा, खेत खसरा नम्बर 282 रकबा 24.13 बीघा कुल रकबा 43 बीघा 09 बिस्वा वादी एकल खातेदारी की भूमि है।

यह है कि वाके सरहद हमीदपुर में सिथत खेत खसरा नम्बर 260 रकबा 18.16 बीघा व खसरा नम्बर 282 रकबा 24.13 बीघा कुल रकबा 43.09 बीघा की खातेदारी में सहवन से वादी का नाम "मोहम्मद हकीम" व वादी के पिता का नाम "चांद खां" की जगह गलत इन्द्राज वादी का नाम " हकीम" व वादी के पिता का नाम "फरीदखां" रेकर्ड में चला आ रहा है। चूंकि वादी को बचपन में हकीम व मोहम्मद हकीम के नाम से तथा वादी के पिता को "चांद खां" के नाम से पुकारा जाता था। परन्तु आगे चलकर दस्तावेजों में वादी का नाम "मोहम्मद हकीम पुत्र चांद खां" ही रहा व इसी अनुरूप वादी का नाम खातेदारी में आना था। लेकिन भुलवंश वादी का नाम इन खेतों की खातेदारी में मोहम्मद हकीम की जगह हकीम तथा पिता का नाम चांद खां की जगह फरीद खां गलत रूप से अंकित हो रखा है।

यह है कि वादी का सही नाम "मोहम्मद हमीद" व पिता का सही नाम "चांद खां" वोटर पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पास बुक, जोब कार्ड, बिजली बिल आदी सभी दस्तावेजात में नाम मोहम्मद हकीम पुत्र चांद खां सही रूप से अंकित है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया [illegible] साक्ष्य वाद में वादी मोहम्मद हकीम पुत्र चांद खां को शपथ पत्र [illegible] हुआ। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 374 दिनांक 20.08.2020 के द्वारा रिपोर्ट [illegible] हुई जो शामिल मिसल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:04:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 260 व खसरा संख्या 282 में खातेदार का नाम हकीम पुत्र फरीद खां की जगह मोहम्मद हकीम पुत्र चाँद खां राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद हमीदपुर के खेत खसरा संख्या 260 व खसरा संख्या 282 में तहसलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार खातेदार का नाम हकीम पुत्र फरीद खां की जगह मोहम्मद हकीम पुत्र चाँद खां राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **10.08.2021** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:04:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **153/2019** दायर दिनाँक **27.06.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद हकीम पुत्र चांद खां उम्र 62 वर्ष जाति शेरानी मुस्लमान निवासी हमीदपुर बांठड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक **10.08.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री विरेन्द्र सिंह वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद हमीदपुर के खेत खसरा संख्या 260 व खसरा संख्या 282 में तहसलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार खातेदार का नाम हकीम पुत्र फरीद खां की जगह मोहम्मद हकीम पुत्र चाँद खां राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **10.08.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकों का, ... डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज ... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:04:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner